को दिया जाना'' बताया है। अतः विधि अनुसार इस भूमि पर पुजारी का ही कब्जा काश्त होना चाहिए परन्तु सायल व गैरसायल दोनों ने अपने आप को उक्त कृषि भूमि डोली बनाम मंदिर श्री रामदेवजी का पुजारी बताया गया है। अतः यह साक्ष्य का विषय है कि सायल व गैरसायल दोनों में से कौन उक्त वादग्रस्त आराजी का वास्तविक पुजारी है? साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्षकारान के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्षकारान के पक्ष साबित नहीं होता है। चूंकि एक पक्ष के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिंदू उभयपक्षकारान के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी का मौका परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायल अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बेडाखुर्द पटवार हल्का टूकडा तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा संख्या 252 रकबा 0–10 बीघा किस्म गैरमुमकिन बेरा, खसरा संख्या 253 रकबा 7–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 254 रकबा 5–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 3 कुल रकबा 13–05 बीघा का मौका परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)